पत्र संख्याः 1/क्यू0–1004/2022–सा0प्र0– 9209 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी।

दिनांक 16 मई, 2023

विषयः– बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आलोक में अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक–प्र.वि.स.–19/2022–1161/ वि.स. दिनांक 12.04.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–02 दिनांक 16.12.2022 को सदन के पटल पर रखा गया है। बिहार विधान सभा सचिवालय के अनुलग्न पत्र दिनांक 12.04.2023 द्वारा समिति के विचारार्थ विषयगत प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा पर कृत कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

2. संदर्भित समिति का विषयाधीन प्रतिवेदन विभागीय वेबसाइट – state.bihar.gov.in/gad के सूचना–पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर अपलोडेड है। उक्त प्रतिवेदन के निष्कर्ष का सारांश और उसमें निहित अनुशंसा निम्नवत् हैः–

(क) प्रतिवेदन के निष्कर्ष का सारांश

राज्य में होने वाली अनावश्यक बैठकें राज्य की कार्य संस्कृति के सुधार में बाधक हैं। प्रायः जिला पदाधिकारियों और अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा कार्यालय अवधि के बाद मौखिक सूचना पर बैठकें की जाती हैं और उनमें कभी–कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे पदाधिकारी का मनोबल गिरता है और कार्य में उनकी रूचि घटती है। मौखिक सूचना पर आयोजित होने वाली बैठकों के लिए न तो कार्यावली निर्धारित होती है, न ही उनमें भाग लेने वाले कर्मियों की सुरक्षा। बैठक के बाद रात में घर लौटने के क्रम में यदि कर्मी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित नहीं माना

K2022/Hindi letter

जाता है। फलस्वरूप, समिति मौखिक बैठकों की परम्परा को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस करती है। यदि आकस्मिक स्थिति में मौखिक सूचना पर बैठक बुलाना आवश्यक हो, तब उक्त बैठक से संबंधित घटनोत्तर सम्पुष्टि निर्गत की जानी चाहिए।

कार्य के घंटे मानव शरीर की क्षमता पर निर्धारित किए गए हैं। कार्यालय अवधि इसलिए निर्धारित है कि कर्मी उक्त अवधि के पहले और बाद अपने परिवार के साथ अपना समय बिता सकें और पुनः जब प्रसन्नचित्त और तनावमुक्त होकर कार्यालय आएं तो दुगने उत्साह के साथ कार्यालय के कार्यों में अपना योगदान दें। कार्यालय अवधि के बाद की बैठकों पर नाश्ता/भोजन का अनावश्यक खर्च होने के साथ–साथ बिजली बिल पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। साथ ही, ए सी आदि चलने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है।

किसी को हतोत्साह और अपमानित कर उसका सर्वोत्तम हासिल नहीं किया जा सकता है। प्रोत्साहन की परम्परा बहुत प्राचीन है–चाहे निजी क्षेत्र में हो या सरकारी।

(ख) प्रोत्साहन की घटती परम्परा को पुनर्स्थापित
किए जाने हेतु समिति की अनुशंसा

(i) कार्यालय अवधि के बाद या अवकाश के दिन कोई भी बैठक आपातस्थिति में ही आयोजित की जाए।

(ii) आपातस्थिति में मौखिक सूचना के आधार पर होने वाली बैठक को पत्र से घटनोत्तर सम्पुष्ट किया जाय।

(iii) बैठकों की भाषा मर्यादित रहे।

3. अतः अनुरोध है कि विभागीय वेबसाइट –state.bihar.gov.in/gad के सूचना–पट्ट (नोटिस बोर्ड) से विषयगत प्रतिवेदन की प्रति डाउनलोड करते हुए इसमें निहित अनुशंसा के आलोक में अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

16.5.23

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– 1/क्यू0– 1004/2022–सा0प्र0– 9209 /पटना–15, दिनांक 16 मई, 2023

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–प्र. वि.स.– 19/2022–1161/ वि.स. दिनांक 12.04.2023 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.5.23

सरकार के अवर सचिव।

KZ2022/Hindi letter